केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।

अल्प कालीन निविदा सूचना दिनांकित 20.02.2026

सर्व सज्जनों को सूचित किया जाता है कि जजशिप बुलन्दशहर में न्यायिक अधिकारीगण हेतु निर्मित राजकीय आवास संख्या जे–01, जे–02, जे–03, जे–06 तथा जे–10 में लघु मरम्मत कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। यह निविदा अनुभवी फर्मो/ठेकेदारों से कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में दिनांक 25.02.2026 तक अपराह्न 12: 00 बजे तक जमा करानी होगी, जिसके उपरान्त किसी भी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं होगी। कार्य का एस्टीमेट सम्बन्धी एवं अन्य कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नजारत अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

कार्य का विवरण

क्र.सं.	कार्य संख्या	आवास संख्या	कार्य (एस्टीमेट के अनुसार)*
1.	01	जे–01, जजेज कम्पाउण्ड, टीचर्स कॉलोनी	
2.	02	जे–02, जजेज कम्पाउण्ड, टीचर्स कॉलोनी	
3.	03	जे–03, जजेज कम्पाउण्ड, टीचर्स कॉलोनी	
4.	04	जे–06, जजेज कम्पाउण्ड, टीचर्स कॉलोनी	
5.	05	जे–10, जजेज कम्पाउण्ड, टीचर्स कॉलोनी	

*** कार्य एस्टीमेट इस अल्प निविदा का भाग है।**

नियम एवं शर्तें

1. आवेदन करने वाले फर्म/ठेकेदार को दिनांक 25.02.2026 से पूर्व जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में सील बंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. आवेदन करने वाले फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण कार्यालय, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं अन्य यथोचित विभाग/कार्यालय में होना अनिवार्य है।
3. आवेदन करने वाली फर्म/ठेकेदार को ठेके की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत रु0 1,00,000 (एक लाख रुपये अधिकतम मात्र) अग्रिम राशि/प्रतिभू राशि के रुप में जमा करानी होगी। जोकि ठेका प्रकिया पूर्ण होने पर उन्हें वापिस कर दिया जायेगा।
4. समस्त कर व सरकारी देयकों का भुगतान उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
5. आवेदन करने वाले फर्म/ठेकेदार को ठेका मिलने की दिनांक से 05 दिवस के अन्दर मरम्मत कार्य प्रारम्भ करना होगा।
6. ठेका लेने वाली फर्म/ठेकेदार को समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी/जनपद न्यायाधीश महोदय के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
7. ठेका लेने वाली फर्म/ठेकेदार को मरम्मत कार्य में उपयोग होने वाले सामान/वस्तु, लेबर, समान की ढुलाई व किसी दुर्घटना इत्यादि पर होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन स्वयं करना होगा।
8. मरम्मत कार्य के दौरान एवं अंत में, कार्य में उपयोग हो रहे वस्तुओं तथा कार्य की गुणवत्ता की जॉच लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा कराई जाऐगी। यदि लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई जाती है, तो उक्त स्थिति में ठेकेदार को लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर होगा।
10. सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को यथोचित भुगतान माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1465/इन्फ्रा.सेल, इलाहाबाद दिनांकित 08 अक्टूबर, 2025, जिसमें जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर में कार्यरत सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण को आवंटित राजकीय आवासों की मरम्मत हेतु प्राप्त अनुदान में से नियमानुसार, लेखा शीर्षक–2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–105–दीवानी एवं सत्र न्यायालय–03–जिला एवं सत्र न्यायाधीश–29–अनुरक्षण मद में से किया जाऐगा।

(संजय सिंह–प्रथम)
जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर। 20/2/26

प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत
जनपद न्यायालय बुलन्दशहर।

इस सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना पटों पर चस्पा कराया जायेः

1. श्रीमान जिला न्यायाधीश, जनपद – बुलन्दशहर।
2. श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय, बुलन्दशहर।
3. श्रीमान कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।
4. कार्यालय जिला परिषद, बुलन्दशहर।
5. जिला सूचना अधिकारी वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. प्रतिलिपि, सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।